बिहार सरकार
न्यायालय आयुक्त नि:शक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय,
पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना।
फोन नं0-0612-2215041, email-scdisability2008@gmail.com
Website : scdisabilities.org

पत्रांक-स0स0-06/रा0आ0नि0-अनुपालन-01/2019- 672 / आ॰ नि॰ श॰ दिनांक- 12/06/2019

प्रेषक,

डॉ0 शिवाजी कुमार,
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

विषय :- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 का राज्यान्तर्गत सम्यक अनुपालन हेतु अधिनियम की विविध धाराओं अन्तर्गत वर्णित प्रावधानों का अनुपालन करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

यह पत्र दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 के प्रावधानों का राज्यान्तर्गत सम्यक अनुपालन से सम्बन्धित है। इसमें अधिनियम के विविध धाराओं एवं इसमें वर्णित प्रावधानों का विवरण उपलब्ध कराते हुए इसके अनुपालन हेतु निर्देश प्रदान किए गए हैं।

दिव्यांगजनों के अधिकारों के सम्बन्ध में वर्त्तमान में प्रवृत्त दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 (आगे से अधिनियम,2016) की विविध धाराओं के अन्तर्गत राज्य सरकारों को संगत दायित्व सौंपे गए हैं। अधिनियम,2016 की धारा-80 एवं 82 के अन्तर्गत राज्य आयुक्त नि:शक्तता को दिव्यांगजनों के अधिकरों व उपलब्ध सुरक्षापायों से सम्बन्धित मामले में समुचित प्राधिकारयों को निदेशित करने हेतु प्राधिकृत किया गया है एवं इसके निर्वहण के प्रयोजनार्थ सिविल न्यायालय के समरूप शक्तियाँ प्रदान की गई है।

अधिनियम,2016 दिव्यांगजनों के अधिकारों की संरक्षा, उनके समाज में पूर्ण प्रभावी भागीदारी, समता/अविभेद तथा उनकी क्षमता के उपयोग हेतु समुचित वातावरण प्रदान करने के मूल उद्देश्यों को परिपूरित करता है। विदित हो कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 की धारा-2 (ZC-2) के अन्तर्गत निम्न 21 प्रकार की विनिर्दिष्ट दिव्यांगता यथा: चलन्त संबंधी दिव्यांगता, मांसपेशिया दुर्विकास, ठीक किया हुआ कुष्ठ, प्रमस्तिष्क घात, बौनापन, अम्ल हमले की पीड़ित, कम दृष्टि, दृष्टिहीनता, श्रवण क्षति, सुनने में कठिनाई, बाक और भाषा दिव्यांगता, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट शिक्षण दिव्यांगता, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, मानसिक रूग्णता, क्रोनिक स्त्रायविक स्थिति, बहुल काठिन्य, पार्किन्सन रोग, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया एवं सिकल सेल रोग को शामिल किया गया है। अधिनियम की निम्न धाराओं के अन्तर्गत दिव्यांगजनों के अधिकारों से जुड़े प्रजन्न अधिकार, सामाजिक/स्वास्थ्य सुरक्षा एवं स्वास्थ्य देख-रेख संबंधी प्रावधान उल्लिखित है। इनका विवरण निम्नवत है :-

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 से सम्बन्धित धाराऐं		
धारा-10 (प्रजन्न अधिकार)	-	(1) समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दिव्यांगजन की प्रजनन और परिवार नियोजन के बारे में समुचित जानकारी तक पहुंच हों (2) किसी दिव्यांगजन को ऐसी चिकित्सा प्रक्रिया के अधीन नही किया जाएगा जिसका परिणाम उसकी संसूचित सहमति के बिना बांझपन होता है।
धारा-24 (सामाजिक सुरक्षा)	-	(1) समुचित सरकार, उसकी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर उनके स्वतंत्र रूप से या समुदाय में रहने के लिए उन्हें समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त जीवन स्तर के लिए दिव्यांगजनों के अधिकारों की सुरक्षा और संवर्धन के लिए आवश्यक स्कीमें और कार्यक्रम बनाएगी; परंतु ऐसी स्कीमों और कार्यक्रमों के अधीन दिव्यांगजनों को सहायता का परिमाण अन्य व्यक्तियों के लिए लागू उन्हीं स्कीमों से कम से कम पच्चीस प्रतिशत अधिक होगा। (2) समुचित सरकार, इन स्कीमों और कार्यक्रमों को बनाने के समय दिव्यांगता, लिंग, आयु और सामाजिक–आर्थिक प्रास्थिति की विविधता पर सम्यक् विचार करेगी। (3) उपधारा (1) के अधीन स्कीमों में निम्नलिखित के लिए उपबंध होगे,– (क) सुरक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य देख–रेख और परामर्श के रूप में अच्छी जीवन परिस्थितियों सहित सामुदायिक केन्द्र; (ख) ऐसे व्यक्तियों के लिए जिसके अंतर्गत दिव्यांग बालक भी है, जिनका कुटुंब नहीं है या जो परित्यक्त या बिना आश्रय या जीवन निर्वाह के है सुविधाएं;

		(ग) प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदा के दौरान और संघर्ष के क्षेत्र में सहायता; (घ) दिव्यांग महिलाओं के जीवन निर्वाह के लिए और उनके बालको के पालन –पोषक के लिए सहायता; (ड.) सुरक्षित पेय जल और समुचित तथा पहुंच में स्वच्छता सुविधाएं विशेषतया नगरीय गंदी–बस्ती और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुच; (च) ऐसी आय की सीमा, जो अधिसूचित की जाए के साथ दिव्यांग व्यक्तियों को निःशुल्क सहायता और साधित्र, ओषधियां और नैदानिक सेवाएं तथा सुधारात्मक शल्यचिकित्सा उपलब्ध कराना; (छ) ऐसी आय की सीमा, जो अधिसूचित की जाए के अधीन रहते हुए दिव्यांग व्यक्तियों को दिव्यांगता पेंशन; (ज) दो वर्ष से अधिक की अवधि के लिए विशेष रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत ऐसे दिव्यांग व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता, जिन्हें लाभपूर्ण व्यवसाय में नहीं रखा जा सका था; (झ) उच्च सहायता की आवश्यकताओं वाले दिव्यांगजनों के लिए देख–रेखा प्रदाता भत्ता; (ञ) ऐसे दिव्यांगजनों के लिए व्यापक बीमा स्कीम जो राज्य कर्मचारी बीमा स्कीम या किसी अन्य कानूनी या सरकार द्वारा प्रायोजित बीमा स्कीम के अंतर्गत नहीं आते है; (ट) कोई अन्य विषय जिसे समुचित सरकार ठीक समझे।
धारा-25 (स्वास्थ्य देख-रेख)		(1) समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी दिव्यांगजनों को निम्नलिखित उपलब्ध कराने के लिए उपाय करेगी– (क) ऐसी कुटुंब आय, जो अधिसूचित की जाए, के अधीन रहत हुए आप पास विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क स्वास्थ्य देख–रेख; (ख) सरकार के सभी भागों और निजी अस्पतालों तथा अन्य स्वास्थ्य देख–रेख संस्थाओं और केन्द्रों में बाधारहित पहुंच; (ग) परिचर्या और उपचार में पूर्विकता। (2) समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी स्वास्थ्य देख–रेख की अभिबृद्धि और दिव्यांगता की घटनाओं को रोकने के लिए उपाय करेंगे और स्कीम या कार्यक्रम बनाएंगे और उक्त प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित करेंगे– (क) दिव्यांगता की घटनाओं के कारणें से संबंधित सर्वेक्षण, अन्वेषण और अनुसंधान करना या कराना; (ख) दिव्यांगता को रोकने के लिए विभिन्न पद्धतियों को प्रोन्नत करना; (ग) "जोखिम के" मामलों की पहचान करने के प्रयोजन के लिए वर्ष में कम से कम एक बार सभी बालकों की जांच करना; (घ) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो पर कर्मचारिवृंद को प्रशिक्षण के लिए सुविधएं उपलब्ध कराना; (ड.) जागरूकता अभियान प्रायोजित करना या कराना और साधारण आरोग्य स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए जानकारी का प्रसार करना या कराना; (च) माता और बालक की प्रसवपूर्व प्रसव के दौरान और प्रसव के पश्चात् देख–रेख के लिए उपाय करना; (छ) पूर्वस्कूल, स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, ग्राम स्तर कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता को शिक्षित करना; (ज) दिव्यांगता के कारणों और अंगीकृत किए जाने वाले निरोधात्मक उपायों को टेलीविजन, रेडियों और अन्य जन संचार साधनों के माध्यम से जनता के मध्य जागरूकता उत्पन्न करना; (झ) प्राकृतिक आपादाओ और अन्य जोखिम की स्थितियों के समय के दौरान स्वास्थ्य देख–रेख; (ञ) जीवनरक्षक आपात उपचार और प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक चिकित्सीय सुविधाएं और (ट) विशेषतया दिव्यांग स्त्रियों के लिए लैंगिक और प्रजनक स्वास्थ्य देख–रेख।

"अधिनियम,2016 इन्टरनेट माध्यम एवं इस कार्यालय के बेवसाइट पर सरलता से उपलब्ध है"।

स्पष्ट है कि ये उक्त प्रावधान अधिनियम के मूल उद्देश्यों के संगत प्रावधान है, जो दिव्यांगजनों के स्वास्थ्य अधिकारों से जुड़े हैं एवं इनका पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है।

उक्त वर्णित प्रावधानों का अनुपालन संबंधित तंत्र व इसकी विविध स्तरीय संचालन इकाईयों अर्थात पदाधिकारी व कर्मचारियों के कार्य व्यवहार को प्रावधान अन्तर्गत वर्णित निदेश अनुरूप ढाल कर ही प्राप्त किया जा सकता है। इन प्रावधानों की प्रकृति तंत्र के कार्य व्यवहार में यथा आवश्यक अपेक्षित परिवर्तन तथा प्रत्येक स्तर के स्वास्थ्य केन्द्रों पर इससे सम्बन्धित आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने की माँग करती है। उल्लेख पूर्वक कहना है कि अधिनियम,2016 के संगत राज्य सरकार द्वारा भी दिव्यांगजन अधिकार नियमावली,2017 अधिनियम के अनुपालनार्थ जारी की जा चुकी है। उक्त धाराओं के अन्तर्गत वर्णित धाराओं के उल्लंघन संबंधी विविध शिकायतें इस न्यायालय को प्राप्त हो रहे हैं।

उक्तानुसार अनुरोध है कि अपने प्राधिकार स्थित समस्त अधीनस्थ इकाईयों को अधिनियम,2016 के उक्त प्रावधानों के अनुपालन हेतु संवेदित व जागरूक करें तथा इन्हें कार्य व्यवहार में शामिल करने हेतु प्रोत्साहित करें। इसे कर्मियों के कार्य मूल्यांकन के अंग के रूप में भी शामिल किया जा सकता है। साथ ही यह भी अपेक्षित है कि उक्त निदेशों के अनुपालन हेतु आवश्यक भौतिक संसाधनों की व्यवस्था एवं उसका निमित्त हेतु अनुप्रयोग सुनिश्चित किया जाय। अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में कृत कार्रवाई जिलावार प्रतिवेदन भी इस न्यायालय को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय। समर्पित जिलावार प्रतिवेदन के आधार पर राज्य आयुक्त नि:शक्तता कार्यालय द्वारा जिलावार आयोजित समीक्षा बैठक-सह-चलन्त न्यायालय के दौरान उक्त समर्पित प्रतिवेदनों के आधार पर यथाआवश्यक पूरक कार्रवाई की जा सकेगी।

उक्त विषय में यह भी अनुरोध किया जाता है कि प्रत्येक विभाग/निदेशालय स्तर पर समुचित पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी नामित करते हुए इसकी सूचना (नाम/पदनाम व सम्पर्क विवरण सहित) इस कार्यालय को उपलब्ध कराने की कृपा करें। ये नोडल पदाधिकारी अधिनियम,2016 के सम्बन्धित क्षेत्राधीन अनुपालन स्थिति के विषय में इस कार्यालय स्तर से सम्पर्क करने तथा इससे जुड़े आवश्यक प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु उत्तरदायी होंगे।

विश्वासभाजन

12.06.19

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-अनुपालन-01/2019-672/आ.नि.श. दिनांक-12/06/2019

प्रतिलिपि:-उप मुख्य आयुक्त, विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सरोजिनी हाउस, 6, भगवान दास रोड, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

12.06.19

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-अनुपालन-01/2019-672/आ.नि.श. दिनांक-12/06/2019

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

12.06.19

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-अनुपालन-01/2019-672/आ.नि.श. दिनांक-12/06/2019

प्रतिलिपि:-बेवसाइट प्रभारी, कार्यालय राज्य आयुक्त नि:शक्तता, बिहार, पटना को सूचित किया जाता है कि उक्त पत्र को कार्यालय की बेवसाइट पर अपलोड करें ताकि दिव्यांगजनों एवं दिव्यांगता प्रक्षेत्र में कार्यरत गैरसरकारी स्वयंसेवी संस्थाओं को इससे सम्बन्धित सूचना प्राप्त हो सके।

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।